पत्रांक– 06/वि० 09–33/2016..........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : ..../2017

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा I से VIII में अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र (बालक) जिनका पारिवारिक आय अधिकतम 1.5 लाख प्रतिवर्ष है एवं सामान्य कोटि के छात्राओं (बालिका) का न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर संबंधित छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृति योजनान्तर्गत ₹1,00,00,00,000/–(एक अरब रूपये) मात्र राशि के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

''अनौपचारिक रूप से परामर्शित''

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

आदेश :– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि० (2) दिनांक 03.01.2008 के कंडिका –7 के आलोक में राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा I से VIII में अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र (बालक) जिनका पारिवारिक आय अधिकतम 1.5 लाख प्रतिवर्ष है एवं सामान्य कोटि के छात्राओं (बालिका) का न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर संबंधित छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृति योजनान्तर्गत 1,00,00,00,000/–(एक अरब रूपये) मात्र राशि के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2016–17 में छात्रवृति योजनान्तर्गत राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र (बालक) जिनका पारिवारिक आय अधिकतम 1.5 लाख प्रतिवर्ष है, में कक्षा I से IV तक के लिए प्रति छात्र ₹ 50/– प्रतिमाह की दर से, कक्षा V से VI तक के लिए प्रति छात्र ₹100/– प्रतिमाह की दर से तथा कक्षा VII से VIII तक के लिए प्रति छात्र ₹150/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति राशि दिया जाना प्रावधानित है।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 में छात्रवृति योजनान्तर्गत राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य कोटि के छात्राओं (बालिकाओं) के लिए कक्षा I से IV तक के लिए प्रति छात्रा ₹50/– प्रतिमाह की दर से, कक्षा V से VI तक के लिए प्रति छात्रा ₹100/– प्रतिमाह की दर से तथा कक्षा VII से VIII तक के लिए प्रति छात्रा ₹150/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2016–17 के छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रस्तावित व्यय की जाने वाली राशि ₹1,00,00,00,000/–(एक अरब रूपये) मात्र राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृत्तियां एवं प्रोत्साहन, उप शीर्ष–0105–प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विपत्र कोड P2202011090105, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित राशि से होगा।

5. (I) स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निरस्ताराधीन होगी तथा राशि का आवंटन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा मांग के अनुसार राशि उपावंटित करेंगे। इस क्रम में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुमोदन देने से पूर्व सुनिश्चित हो लेंगे कि 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले लाभुकों की सूची संबंधित प्रधानाध्यापकों द्वारा हस्ताक्षरित करके उनके कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। (जिलावार स्वीकृत राशि की विवरणी संलग्न है।)

जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) सम्यक् जाँचोपरान्त संबंधित जिले के सामान्य कोटि के छात्र (बालक) जिनका पारिवारिक आय अधिकतम 1.5 लाख रूपये है) एवं सामान्य कोटि के छात्राओं (बालिकाओं) जिनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है, के संख्या के आधार पर ही राशि उपावंटित करेंगे। इसमें किसी प्रकार के विचलन या अनियमितता मानते हुए इसकी जिम्मेवारी संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) पर निर्धारित की जाएगी।

(II) राजकीय विद्यालयों के संदर्भ में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि उपावंटित की जाएगी एवं संबंधित कोषागार से BTC–43 फॉर्म पर राशि की निकासी की जाएगी। सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय (मदरसा) प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में लाभुकों के लिए राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से BTC–43 के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले लाभुकों की सत्यापित सूची उक्त प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(III) राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में प्रखण्डवार उपावंटन संबंधित प्रखण्डों के लिए चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जाएगा। उनके द्वारा संबंधित कोषागार से BTC–43 पर अधीन विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक द्वारा उक्त प्रपत्र में सत्यापित कराकर उपलब्ध करायी गई लाभुकों की सूची संलग्न करते हुए राशि की निकासी की जायेगी। सूची वैसे विद्यार्थी की होनी चाहिए जो नामांकित हो एवं जिनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत या उससे अधिक हो। इसकी जवाबदेही संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक की होगी। चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्रखंड स्तर पर) द्वारा राशि की निकासी हेतु तैयार किये जाने वाले विपत्र पर यह प्रमाणित किया जायेगा कि लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित है एवं उनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है। चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अन्तर्गत विद्यालयों के विद्यालय शिक्षा समिति के बैंक खाते में ही एकमुश्त राशि बैंक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति से लाभुक के बैंक खाते में राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से ही भेजा जायेगा और राशि के अंतरण के पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य सचिव अंतरण हेतु तैयार किये जाने वाले सूची पर यह प्रमाण पत्र देंगे की लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित है और उनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है। उक्त सूची में छात्र/छात्राओं के नाम, उनके माता/पिता के नाम एवं वर्ग, क्रमांक, योजना का नाम, उपस्थिति का प्रतिशत (न्यूनतम 75 प्रतिशत), छात्रवृत्ति की दर, बैंक खाता संख्या अथवा उनके माता/पिता का बैंक खाता संख्या, IFSC Code एवं कुल राशि की विवरण सूची संलग्न की जायेगी।

(IV) छात्रवृति की राशि लाभुक छात्र/छात्राओं अथवा उनके माता–पिता के बैंक खाते में अंतरित की जानी है। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि का वितरण नहीं किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लाभुकों की सूची बैंक खाता संख्या के साथ संबंधित बैंक को उपलब्ध करायेंगें ताकि बैंक लाभुक छात्र/छात्राओं के उक्त सूची के अनुरूप एक साथ RTGS/NEFT के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि अंतरित करेंगे।

(V) छात्रवृति राशि के वितरण के पश्चात् यदि यह ज्ञात होता है कि लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित नहीं है या लाभुक नामांकित है परंतु उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे तथा उनसे राशि वसूली एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(VI) राशि का आवंटन/निकासी के दो माह के अन्दर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेगें।

(VII) अवितरित राशि, यदि कोई हो तो इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व इसे कोषागार में संबंधित शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायगा।

(VIII) स्वीकृत राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा अंतर्गत संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) द्वारा उचित माध्यम से महालेखाकार कार्यालय में विधिवत् जमा कराया जायेगा।

(IX) योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी होगी। राज्य स्तर पर यह कार्य निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना द्वारा किया जाएगा।

6. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

7. इस मद की राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 06/वि० 09–33/2016 के पृ० 14/टि० पर प्राप्त है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र नारायण महतो)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 06/वि० 09–33/2016......79...... पटना, दिनांक–...21/2...../2017

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/वित्त विभाग, व्यय शाखा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 05, शिक्षा विभाग एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग दो प्रति/ सभी प्रखण्ड के चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (योजना), शिक्षा विभाग/I.T. Manager, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.17.

सरकार के उप सचिव।

वर्ग 1 से 4 के सामान्य कोटि के छात्र (जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.5 तक है) एवं सामान्य कोटि के छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रू० 50 प्रति माह की दर से विपत्र कोड P2202011090105 में स्वीकृत राशि

क्रम संख्या	जिला	छात्रों को स्वीकृत राशि (रू० में)	छात्राओं को स्वीकृत राशि (रू० में)	कुल (रू० में)
1	अररिया	1152600	1687200	2839800
2	अरवल	514200	306600	820800
3	औरंगाबाद	1962600	2684400	4647000
4	बांका	1377600	1988400	3366000
5	बेगूसराय	4053000	5839800	9892800
6	भागलपुर	3596400	5353200	8949600
7	भोजपुर	3108600	4641000	7749600
8	बक्सर	2234400	3078000	5312400
9	दरभंगा	8128200	11597400	19725600
10	गया	3467400	5015400	8482800
11	गोपालगंज	2208600	3348000	5556600
12	जमुई	1981800	2700600	4682400
13	जहानाबाद	1006200	1342200	2348400
14	कैमूर	1069800	1450200	2520000
15	कटिहार	10074600	14556600	24631200
16	खगड़िया	1247400	1575600	2823000
17	किशनगंज	10277400	16084200	26361600
18	लखीसराय	1582200	2074800	3657000
19	मधेपुरा	1086600	1482000	2568600
20	मधुबनी	6586800	9043800	15630600
21	मुंगेर	1269000	1695600	2964600
22	मुजफ्फरपुर	5665800	7783200	13449000
23	नालंदा	1744200	2562600	4306800
24	नवादा	2677800	3677400	6355200
25	पश्चिमी चम्पारण	3987000	4724400	8711400
26	पटना	3065200	4303200	7368400
27	पूर्वी चम्पारण	8127600	8116200	16243800
28	पूर्णिया	1860600	3162600	5023200
29	रोहतास	2659200	3694800	6354000
30	सहरसा	2112600	3020400	5133000
31	समस्तीपुर	4050000	5806800	9856800
32	सारण	4975200	6915600	11890800
33	शेखपुरा	865800	1136400	2002200
34	शिवहर	1440600	1974600	3415200
35	सीतामढ़ी	6167400	8906400	15073800
36	सिवान	2866800	4430400	7297200
37	सुपौल	2617200	6576000	9193200
38	वैशाली	2457000	3360600	5817600
	कुल	**125325400**	**177696600**	**303022000**

(तीस करोड़ तीस लाख बाईस हजार रूपये मात्र)

20.2.17
उपसचिव
शिक्षा विभाग

वर्ग 5 से 6 के सामान्य कोटि के छात्र (जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.5 तक है) एवं सामान्य कोटि के छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रू० 100 प्रति माह की दर से विपत्र कोड P2202011090105 में स्वीकृत राशि

क्रम सं०	जिला	छात्रों को स्वीकृत राशि (रू० में)	छात्राओं को स्वीकृत राशि (रू० में)	कुल (रू० में)
1	अररिया	801600	1183200	1984800
2	अरवल	651600	646800	1298400
3	औरंगाबाद	2030400	2982000	5012400
4	बांका	1452000	2096400	3548400
5	बेगूसराय	3948000	5968800	9916800
6	भागलपुर	3310800	5097600	8408400
7	भोजपुर	3364800	5196000	8560800
8	बक्सर	2505600	3558000	6063600
9	दरभंगा	7678800	11571600	19250400
10	गया	3550800	5299200	8850000
11	गोपालगंज	2256000	3540000	5796000
12	जमुई	2008800	2690400	4699200
13	जहानाबाद	1125600	1585200	2710800
14	कैमूर	1092000	1634400	2726400
15	कटिहार	8262000	12637200	20899200
16	खगड़िया	1184400	1646400	2830800
17	किशनगंज	9961200	13921200	23882400
18	लखीसराय	1531200	2198400	3729600
19	मधेपुरा	909600	1275600	2185200
20	मधुबनी	6109200	8848800	14958000
21	मुंगेर	1537200	2062800	3600000
22	मुजफ्फरपुर	5926800	8442000	14368800
23	नालंदा	1950000	2858400	4808400
24	नवादा	2862000	4122000	6984000
25	पश्चिमी चम्पारण	2914800	4758000	7672800
26	पटना	3454800	5190000	8644800
27	पूर्वी चम्पारण	7122000	6992400	14114400
28	पूर्णिया	1905600	3458400	5364000
29	रोहतास	2892000	4243200	7135200
30	सहरसा	1948800	2823600	4772400
31	समस्तीपुर	4106400	6214800	10321200
32	सारण	5146800	7324800	12471600
33	शेखपुरा	937200	1315200	2252400
34	शिवहर	1326000	1984800	3310800
35	सीतामढ़ी	5072400	8306400	13378800
36	सिवान	3068400	4838400	7906800
37	सुपौल	2119200	5872800	7992000
38	वैशाली	2839200	3864000	6703200
कुल		120864000	178249200	299113200

(उनतीस करोड़ एकानवे लाख तेरह हजार दो सौ रुपये मात्र)

20.2.17
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

वर्ग 7 से 8 के सामान्य कोटि के छात्र (जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.5 तक है) एवं सामान्य कोटि के छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रू० 150 प्रति माह की दर से विपत्र कोड P2202011090105 में स्वीकृत राशि

क्रम सं०	जिला	छात्रों को स्वीकृत राशि (रू० में)	छात्राओं को स्वीकृत राशि (रू० में)	कुल (रू० में)
1	अररिया	811800	1413000	2224800
2	अरवल	838800	507600	1346400
3	औरंगाबाद	2673000	4235400	6908400
4	बांका	1989000	2874600	4863600
5	बेगूसराय	5306400	8937000	14243400
6	भागलपुर	4012200	6750000	10762200
7	भोजपुर	4827600	7871400	12699000
8	बक्सर	3711600	5385600	9097200
9	दरभंगा	9433800	15492600	24926400
10	गया	4339800	6980400	11320200
11	गोपालगंज	3529800	6429600	9959400
12	जमुई	2662200	3673800	6336000
13	जहानाबाद	1634400	2385000	4019400
14	कैमूर	1515600	2676600	4192200
15	कटिहार	8503200	14812200	23315400
16	खगड़िया	1542600	2464200	4006800
17	किशनगंज	10983600	17215200	28198800
18	लखीसराय	2169000	3081600	5250600
19	मधेपुरा	1328400	1949400	3277800
20	मधुबनी	7403400	11894400	19297800
21	मुंगेर	1972800	2847600	4820400
22	मुजफ्फरपुर	7459200	11426400	18885600
23	नालंदा	2579400	4167000	6746400
24	नवादा	3808800	5967000	9775800
25	पश्चिमी चम्पारण	3456000	5868000	9324000
26	पटना	5185800	8031600	13217400
27	पूर्वी चम्पारण	8445600	9241200	17686800
28	पूर्णिया	2127600	3929400	6057000
29	रोहतास	4014000	5920200	9934200
30	सहरसा	2104200	3412800	5517000
31	समस्तीपुर	5565600	8866800	14432400
32	सारण	7659000	10980000	18639000
33	शेखपुरा	1220400	1803600	3024000
34	शिवहर	1553400	2352600	3906000
35	सीतामढ़ी	5983200	10558800	16542000
36	सिवान	4798800	7830000	12628800
37	सुपौल	2476800	7794000	10270800
38	वैशाली	4181400	6030000	10211400
कुल		**153808200**	**244056600**	**397864800**

(उनचालीस करोड़ अठहत्तर लाख चौंसठ हजार आठ सौ रुपये मात्र)

20.2.17

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।